हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2) पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 345, 345/1, 346, 386, 387 भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण से 01 लगायत 15 की आराजी नं. 361, 363, 369, 370, 372 मे से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की दस्तदुआ की। जब कि विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण स्वयं की आराजियात मे ही होकर आ-जा रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण की आराजी नं. 345, 345/1, 346, 386, 387 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विधमान नही है, एवं वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः :: आदेश :: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम भाकलिया परवार हल्का टहूका तहसील माण्डल मे स्थित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	आराजी नं. 345, 345/1, 346, 386, 387 की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 14 की आराजी नं. 361, 363, 369, 370, 372 मे से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 14 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:22 IST
Reason: SelfAttested